

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं सरायकेला-खरसावाँ।

राँची, दिनांक-14-11-2025

विषय:- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2030-स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष-02-स्टाम्प न्यायिकेतर, लघुशीर्ष-101-स्टाम्पों की लागत, उपशीर्ष-05-क्रेताओं को ई-स्टाम्प की मूल्य वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई विपत्र कोड 38S20300210105000886 में कुल रू0 ₹34,52,000/- (चौतीस लाख बावन हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, राँची के पत्रांक-100 (i)/विधि, दिनांक-10.06.2025, उपायुक्त, जमशेदपुर के पत्रांक-402, दिनांक-20.06.2025 तथा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1221, दिनांक-18.06.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में क्रेताओं को ई-स्टाम्प की मूल्य वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई में कुल रू0 ₹34,52,000/- (चौतीस लाख बावन हजार रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र.	इकाई	राँची	जमशेदपुर	सरायकेला-खरसावाँ	कुल
	DDO Code	RNCPOL 021	JSRSNR 001	SKLDAD 013	
1	वेतन	13,25,000/-	14,12,000/-	7,15,000/-	34,52,000/-

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिला के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-624/बजट, दिनांक-02.09.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

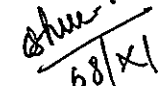
4. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. आवंटित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर कराना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

7. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,



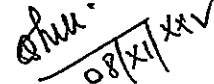
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

81/3/14 राँची, दिनांक-14-11-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर एवं सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।